-121- संख्या: 1371/2002/सोलह-1-2002-95/95

प्रेषक,

दिनेश राय
प्रमुख सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा प्रभाग, लखनऊ।
2-सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग -1   लखनऊ: दिनांक: 23 मई, 2002

विषय: प्रदेश के डिग्री एवं डिप्लोमा अभियंत्रण संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित प्रकरण पर प्रवृत्त समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शैक्षिक सत्र-2002-2003 से प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय एवं स्वायत्तशासी डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण की निम्नवत सुविधा दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	जिसके लिए आरक्षित है	आरक्षण का प्रतिशत
01-	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत
02-	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 2 प्रतिशत
03-	नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 27 प्रतिशत

2- उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मुख विवरणानुसार क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण प्रदान किया जायेगा :-

D.Verma
16.6.02

—2—

(1)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
(2)	उ0प्र0के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उ0प्र0 में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को।	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत
(3)	शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रत्येक क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उसी श्रेणी में रखा जायेगा, जिससे वह संबंधित है। उदाहरण के लिए यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के अंतर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी यदि अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा।

3— संलग्न अनुसूची-1 में नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के उल्लिखित अभ्यर्थियों को ही प्रस्तर-1 के क्रमांक-3 पर उल्लिखित 27% आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी, परंतु उक्त जातियों के अनुसूची-2 में उल्लिखित श्रेणियों के नागरिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को यह आरक्षण सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

4— यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता में, मेरिट के आधार पर, सामान्य अभ्यर्थीगण के साथ चयनित होता है तो उसे उपर्युक्त आरक्षित श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

5— प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सर्वप्रथम खुली प्रतियोगिता (सामान्य श्रेणी) के 50 प्रतिशत सीटों को भरने के लिए मेरिट लिस्ट के आधार पर वांछित संख्या में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों को भरा जायेगा। उसके उपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की बनायी गयी मेरिट सूची में से, इनमें से प्रत्येक के लिए वांछित संख्या में, उस श्रेणी के अभ्यर्थियों की सीटों को भरा जायेगा। उसके उपरांत यह देखा जायेगा कि क्षैतिज आरक्षण वाले वर्ग के कितने अभ्यर्थीगण

—3—

इस ढंग से तैयार चयन सूची के आधार पर चयनित हो चुके हैं यदि क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित कोटे के अभ्यर्थीगण उपर्युक्त आधार पर चयनित हो चुके हों तो उनके लिए पुनः किसी आरक्षण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। यदि क्षैतिज आरक्षण के निहित कोटा में वांछित संख्या में अभ्यर्थीगण चयनित न हुये हों तो क्षैतिज आरक्षण वाले प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थीगण को मेरिट सूची के आधार पर, उसी ढंग से समायोजित किया जायेगा जैसा कि इस शासना--देश के प्रस्तर-2 में निर्देशित है। क्षैतिज आरक्षण के अभ्यर्थी जिस वर्ग के हों उतनी संख्यामें उसी वर्ग के अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट सूची से निकालते हुये क्षैतिज आरक्षण वाले उस वर्ग के अभ्यर्थी को उसी वर्ग की चयन सूची में प्रति-स्थापित/समायोजित कर दिया जायेगा। अर्थात यदि/क्षैतिज आरक्षण का उपर्युक्त ढंग से चयनित अभ्यर्थी अनारक्षित [सामान्य] वर्ग का हो तो सामान्य वर्ग की मेरिट सूची के अंतिम अभ्यर्थी को उसकी सूची में से निकालते हुये उसके स्थान पर क्षैतिज आरक्षण के आधार परचयनित उस अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूची में प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा। क्षैतिज आरक्षण वाले अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति या अनुसूचितजनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का होने पर उपर्युक्त प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

6- यदि अनुसूचित जनजाति के उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस श्रेणी के रिक्त स्थान को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

7- यदि प्रवेश हेतु संबंधित शैक्षिक सत्र में घोषित अंतिम तिथि तक विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त घोषित अंतिम तिथि से 15 दिन की अवधि के पश्चात् उन्हें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर भरा जासकता है। इस 15 दिन की अवधि के मध्य यदि आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाते हैं तो आरक्षित स्थान उनसे ही भरे जायेंगे।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
ह0
[दिनेश राय]
प्रमुख सचिव।

संख्या-1371/2002-कोलह-1-2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्य।

(2) समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेश के समस्त पालीटेक्निक संस्थान।

(3) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, कानपुर।

(4) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3

(5) आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
अनुसचिव।